राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2275/2022

फूलचन्द कुम्हार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक (संस्कृत शिक्षा), द्वितीय मंजिल, ब्लॉक–6, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
4. प्राचार्य, राजकीय धुलेश्वर आचार्य संस्कृत कॉलेज, मनोहरपुर (जयपुर)।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जनपथ, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.07.2022

आदेश की दिनांक : 04.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.03.2022 एवं 22.03.2022 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि दिनांक 04.05.2017 से 03.10.2017 तक

की अवधि का वेतन जो ग्रेच्युटी से राशि रूपये 3,97,461/– की कटौती की गई है, उसे वापिस लौटाई जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी व्याख्याता संस्कृत के पद पर पदस्थापित था और उसे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया तथा आदेश दिनांक 04.05.2017 के द्वारा उसे नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करते हुये निर्देश दिया गया और यह कथन किया गया कि यदि कार्यग्रहण नहीं करेगा तो चयनित वेतनमान रोक दिया जायेगा, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6504/2017 प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.05.2017 जारी करते हुये स्टेटस को किया गया और विभाग के आदेश दिनांक 04.05.2017 के द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने पर अपीलार्थी का वेतन दिनांक 04.05.2017 से 03.10.2017 तक की अवधि का रोक दिया गया, जिसे अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम प्रार्थना पत्र संख्या 37432/2017 प्रस्तुत की और माननीय न्यायालय ने दिनांक 13.09.2017 को आदेश देते हुये अपीलार्थी के वेतन को भुगतान करते हुये निर्देश दिया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी से कार्यग्रहण करवाया और वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश जारी किये। जबकि अपीलार्थी ने उक्त अवधि का कोई अवकाश हेतु कोई आवेदन नहीं किया और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग को भुगतान किये जाने के आदेश दिये जावें। अपीलार्थी दिनांक 31.10.2020 को सेवानिवृत्त हो गया और उसे पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। उनका कथन है कि रिट याचिका लंबित होने के दौरान अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया और इस प्रकार उसकी रिट याचिका मेरिट पर निर्णीत नहीं होने पर निष्फल हो गई और अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13340/2021 प्रस्तुत की, जिसमें कथन किया कि प्रत्यर्थी विभाग को पेंशन भुगतान किये जाने के निर्देश प्रदान किये जावें और आदेश दिनांक 08.10.2021 एवं 20.10.2021 को अपास्त फरमाया जावे। इसके क्रम में माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 07.02.2022 पारित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। उनका यह भी कथन है कि विभाग द्वारा यह भी माना गया है कि अपीलार्थी से संबंधित कोई न्यायिक प्रक्रिया दण्डित नहीं है और न ही कोई जांच लंबित है। परंतु फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा

दिनांक 04.05.2017 से 03.10.2017 तक की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.03.2022 एवं 22.03.2022 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि दिनांक 04.05.2017 से 03.10.2017 तक की अवधि का वेतन जो ग्रेच्युटी से राशि रूपये 3,97,461/– की कटौती की गई है, उसे वापिस लौटाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी दिनांक 05.05.2017 से 03.10.2017 तक संस्था में उपस्थित नहीं रहा और न ही किसी प्रकार का कोई अवकाश प्रस्तुत किया है। अवकाश प्रकरण निस्तारण नहीं होने के कारण पेंशन प्रकरण समय पर निस्तारित नहीं हो सका और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.02.2022 को याचिका को वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के कारण याचिका खारिज कर दी गई। अपीलार्थी से नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर अवकाश स्वीकृत कराने हेतु स्वीकृत किया गया और उसकी याचिका खारिज किये जाने के फलस्वरूप भुगतान की गई राशि राजकोष में जमा कराने तथा नियमानुसार अवकाश प्रस्तुत कर अवकाश स्वीकृत कराने हेतु निर्देशित किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी व्याख्याता संस्कृत के पद पर पदस्थापित था और उसे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया तथा आदेश दिनांक 04.05.2017 के द्वारा उसे नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करते हुये निर्देश दिया गया और यह कथन किया गया कि यदि कार्यग्रहण नहीं करेगा तो चयनित वेतनमान रोक दिया जायेगा, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6504/2017 प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.05.2017 जारी करते हुये स्टेटस को किया गया और विभाग के आदेश दिनांक 04.05.2017 के द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने पर

अपीलार्थी का वेतन दिनांक 04.05.2017 से 03.10.2017 तक की अवधि का रोक दिया गया, जिसे अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम प्रार्थना पत्र संख्या 37432/2017 प्रस्तुत की और माननीय न्यायालय ने दिनांक 13.09.2017 को आदेश देते हुये अपीलार्थी के वेतन को भुगतान करते हुये निर्देश दिया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी से कार्यग्रहण करवाया और वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश जारी किये। जबकि अपीलार्थी ने उक्त अवधि का कोई अवकाश हेतु कोई आवेदन नहीं किया और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग को भुगतान किये जाने के आदेश दिये जावें। अपीलार्थी दिनांक 31.10.2020 को सेवानिवृत्त हो गया और उसे पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। रिट याचिका लंबित होने के दौरान अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया और इस प्रकार उसकी रिट याचिका मेरिट पर निर्णीत नहीं होने पर निष्फल हो गई। जहां तक अपीलार्थी को दिनांक 04.05.2017 से 03.10.2017 तक की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 02.03.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 6504/2017 के निर्णय दिनांक 30.09.2017 के क्रम में विभागीय आदेश दिनांक 29.08.2018 के द्वारा उक्त अवधि का वेतन आहरण करने की राशि रूपये 3,85,011/– स्वीकृति आदेश दिनांक 30.08.2018 के द्वारा प्रदान की गई। आदेश दिनांक 22.03.2022 के द्वारा अपीलार्थी का 88 दिवस का अर्द्ध वेतन अवकाश एवं 64 दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया। परंतु विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.07.2023 जिसके द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 11.02.2022 के द्वारा अधिक भुगतान की राशि की वसूली किये जाने के आदेश को अपास्त कर दिया गया। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की ग्रेच्युटी से जो राशि रूपये 3,97,461/– की कटौती की गई है, उसे विभाग द्वारा उस आदेश को अपास्त कर दिया गया, परंतु अपीलार्थी को वापिस राशि नहीं लौटाई गई है और इस प्रकार अपीलार्थी को वास्तविक लाभ प्रदान नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी उक्त वास्तविक लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 02.03.2022 एवं 22.03.2022 को अपास्त फरमाया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के ग्रेच्युटी से जो राशि कटौती की गई है, जिसके संबंध में विभाग द्वारा संबंधित आदेश को अपास्त

किया गया है, उसका वास्तविक लाभ अपीलार्थी को नियमानुसार भुगतान किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिशिचित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष